पत्रांक : केन्द्रीय (मा०)—के०मा०-328/22,के०-1008

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 21/10/2022

विषयः वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने हेतु छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने एवं शुल्क (विलंब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 (सत्र 2022–2023) में सम्मिलित होने के लिए छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन ऑनलाइन समिति के **वेबसाईट http://secondary.biharboardonline.com पर भरने एवं शुल्क (विलंब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु दिनांक 28.10.2022 तक अवधि विस्तारित की गई है।**

2. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यदि मूल पंजीयन कार्ड में किसी छात्र/छात्रा एवं उनके **माता–पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय** में त्रुटि हो, तो निर्दिष्ट त्रुटि का समिति के पोर्टल पर प्रथमतः ऑनलाइन सुधार करते हुए संशोधित/परिशुद्ध पंजीयन विवरणी के आधार पर छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन विस्तारित अवधि **दिनांक 28.10.2022 तक** भरा जाएगा। ध्यातव्य हो कि छात्र/छात्रा के नाम, माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी छात्र/छात्रा की पूर्ण पहचान बदल दी गयी है, तो उनका पंजीयन रद्द किया जा सकता है तथा संबंधित विद्यालय के प्रधान के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

3. विदित हो कि दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह–विज्ञान के परीक्षा में शामिल होना होता है। दृष्टिबाधित छात्र/छात्रा से तात्पर्य है कि वैसे छात्र/छात्रा जो दोनों आँखें से देखने में सक्षम नहीं है। ऐसे छात्र/छात्राओं के मूल पंजीयन कार्ड की कंडिका–8 में निर्दिष्ट कोटि का उल्लेख है। यदि इस कोटि में त्रुटि हो, तो इसका अनिवार्य रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि में संशोधन करा लेना आवश्यक है। इसके बावजूद किसी छात्र/छात्रा की विवरणी त्रुटिपूर्ण रह जाती है, तो इसके लिए संबंधित छात्र/छात्रा/उनके अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

4. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होने वाले वैसे छात्र/छात्रा जिनका पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन निर्धारित अवधि तक ऑनलाइन भरा गया है, परन्तु शुल्क विद्यालय के प्रधान द्वारा जमा नहीं किया गया है, तो बकाया शुल्क राशि **दिनांक 28.10.2022 तक** जमा करेंगें, अन्यथा उनका प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधान की होगी।

5. स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन भरा जायेगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा। जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे विद्यालयों से परीक्षा आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा–A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ऐसा पाये जाने पर इस तरह के परीक्षा आवेदन को रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

6. उपर्युक्त आलोक में **समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 201/2022** स्पष्ट निदेश के साथ आज दिनांक 21.10.2022 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित की जा चुकी है तथा इसकी प्रति आपके ई–मेल आई0डी0 पर क्रमशः **ज्ञापांक–के0मा0–328/22–के0 1002, दिनांक 20.10.2022** के द्वारा प्रेषित है।

7. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि विषयांकित कार्य हेतु समिति द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति तथा अनुदेश के आलोक में अपने जिलान्तर्गत अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधान को छात्र/छात्राओं के मूल पंजीयन कार्ड में परिलक्षित त्रुटि का संशोधन करते हुए परीक्षा आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु स्पष्ट निदेश देने की कृपा की जाय ताकि अर्हता प्राप्त कोई छात्र/छात्रा परीक्षा आवेदन से वंचित न रहें एवं उनकी विवरणी परिशुद्ध हो सके।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन

21/10/22 21/10/22

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)–328/22, के0 –1008 /पटना, दिनांक : 21 / 10 / 2022